

9/6/23 प्रार्थीगण मय वकील उपर सुना गया।
प्रार्थीगण द्वारा मूल दावा विद्वै कर
लिया है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्मरण
हीन होने के कारण खारिज किया
जाता है। पूर्व में जारी T.I. दिनांक
30-9-22 को खारिज की जाती है।
पत्रावली दाखिल दफ्तर है।


उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर) राज०